(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 26/2017-केंद्रीय उत्पादशुल्क (गै०टे०)

तारीख 17 अक्तूबर 2017
25 आश्विन, 1939 शक

सा०का०नि०............(अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड उन बातों, जिन्हें केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रवृत्त होने से पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के खण्ड (55), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,2002 के नियम 3, सेवाकर नियम,1994 के नियम 3 और केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अनुसरण में:-

(क) नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है , और

(ख) ऐसे अधिकारियों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 और तदधीन बनाए गए नियमों तथा वित्त अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी शक्तियाँ निहित करता है; और

(ग)

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को; और

(ii) प्रधान आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर; और

(iii) आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (लेखापरीक्षा); और

(iv) आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (अपील), को

उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारिता समुदेशित करता है।

सारणी

क्रम. सं.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी का रैंक औरपदनाम	अधिकारिता	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोई भी प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक जिसकी तैनाती केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के तहत निम्नलिखित की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, में की गई है (क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या (ख) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर	अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) तारीख 09 जून,2017 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की अधिकारिता	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 35 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 85 के अधीन उन अपीलों के संबंध में अपील में आदेश पारित करना जो ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (अपील) के पास तारीख 30 जून, 2017 को या उससे पहले फाइल की गई है।

17.10.2017

(ड़ा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव भारत सरकार
फा.सं. 137/13/2017-सेवाकर